



(राजस्थान सरकार)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड़

निर्णय अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)  
पत्र : 31/2025 रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4)  
दिनांक : 25.02.2025



राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज0।

- प्रार्थी

बनाम

लीला पुत्र भगवाना चमार निवासी नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज0।  
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको शाहजहांपुर,  
बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज0।

- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

निर्णय

दिनांक : 28.04.2025

1. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 3 बीघा का आवंटन दिनांक 27.02.1976 को वाके ग्राम केशवाना गुर्जर में श्री लीला पुत्र श्री भगवाना जाति चमार निवासी नांगल चेचीका तहसील बहरोड़ को आवंटन किया गया था जिसके हाल नम्बर 27 रकबा 22.36 है0 बनता है। आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है, नियमानुसार 3 साल के अन्तर्गत आवंटित रकबा पर काशत करना चाहिए आवंटी द्वारा आवंटन नियमों के बाबत पालना नहीं की गई है। उक्त आराजी का दिनांक 01.01.1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन हो चुका है तथा कब्जा दिया जा चुका है तथा रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः दिनांक 27.02.1976 को आवंटी लीला के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किया है।
2. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 27.02.1976 को अप्रार्थी लीला पुत्र श्री भगवाना को आवंटन किया गया था तथा अप्रार्थी ने कब्जा मिलने के पश्चात लगातार जमीन काशत की है तथा आज तक भी कब्जा अप्रार्थी के पास ही है। उक्त आराजी का राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन गलत किया गया है तथा उसके नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि भी गलत रूप में की गई है। अप्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है तथा यह कार्यवाही अप्रार्थी के हितों के विरुद्ध पुर्णतया बेअसर है। ग्राम केशनवाना गुर्जर में सन् 1997 में बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू हो गई थी। अतएव राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया। सन् 1980 में यह ग्राम जिला अलवर तहसील बहरोड़ का ग्राम बन गया था। अतएव राजस्व विभाग में बन्दोबस्त के दौरान तहसील कोटपूतली बहरोड़ से रिकार्ड वापिस आया तब तक बन्दोबस्त हो चुका था। राजस्व अभिलेख में यह सिवायचक दर्ज रह गयी जबकि कब्जा अप्रार्थी का है। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि नही होने से अधिकारों पर कोई फर्क नही पड़ता है। कानूनी रूप से 30 साल के अन्तराल के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। तहसीलदार कोटपूतली ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के नाम व रीको के नाम जमीन का आवंटन होना बताया है। इस प्रकार एक ही जमीन का दो बार आवंटन होना कानून सही नहीं है। अप्रार्थी के नाम पहले आवंटन हुआ है तो बिना उक्त आवंटन निरस्त किये आवंटन रीको के नाम इनीशीयली वॉईड है। अतः तहसीलदार कोटपूतली ने आवंटित जमीन को नियमों के विपरित दोबारा रीको के नाम अलॉटमेंट कर गलत कार्यवाही की है। अतः कानूनी रूप से यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
3. अप्रार्थी नम्बर 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपशासन सचिव उद्योग द्वारा ग्राम केशवानागुर्जर तहसील कोटपूतली में दिनांक 1 जनवरी 1993 को हाल आराजी ख0न0 27/22.36, 28/28.50, 29/21.72, 30/12.85, 31/14.18, 32/22.00, 38/12.24, 39/8.83, 40/14.80, 218/9.40, 220/4.75, 280/5.95

जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड़

279/0.84 कुल रकबा 178.42 है0 आवंटन किया गया था जिसमें अप्रार्थी शीको द्वारा दिनांक 16/08/1994 को 1,26,98,932 रु0 प्रीमियम तहसीलदार कोटपुतली को भुगतान किया गया तथा तहसीलदार कोटपुतली द्वारा दिनांक 15/09/1994 को उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 शीको को सम्भलाया गया था। दिनांक 04/12/2004 को प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक शीको जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर, उपशासन सचिव उद्योग विभाग जयपुर, सलाहकार (इन्फ्रा) शीको जयपुर, अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय जयपुर की मीटिंग हुई जिसमें विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि अतिक्रमियों द्वारा मौके पर बनाई गयी कुई तथा कच्चे पक्के अस्थाई मकान आदि बाबत मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनके पुर्नवास हेतू सहायता राशि सम्बन्धित कास्तकारों को प्रदान करें। दिनांक 20/06/2006 को प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 04/12/2004 को जो बैठक आयोजित हुई थी तथा कथित आवंटी/अतिक्रमियों ने माननीय राज० उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका SB सिविल पीटिशन न० 3374/2005 दायर की थी जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 05/05/2006 को किया गया था जिस पर आदेश की पालना में कुऐ स्ट्रक्चर इत्यादि की मुआवजा राशि 5,06,674 रु० के भुगतान को स्वीकृत किये गये जो राशि चैक सं० 321763 दिनांक 30/06/2006 रु० 5,06,674 का सम्बन्धित/हितबद्ध व्यक्तियों को उनके कुऐ व स्ट्रक्चर का भुगतान करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के यहां दि० 03/07/2006 को जमा करा दिया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा चला आ रहा है तथा औद्योगिक विस्तार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं० 1 को ना तो कोई अधिकार है एवं तथा कथित आवंटन स्वत ही निरस्त हो चुका है व कभी प्रभावी नहीं हुआ एवं अप्रार्थी सं० 2 के अधिकारों के विरुद्ध शुन्य व बेअसर है।

पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। नियमानुसार निर्धारित समय में अप्रार्थी द्वारा आवंटित रकबा पर काश्त करनी चाहिए थी जिसकी पालना आवंटी द्वारा नहीं की गई। उक्त आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (शीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी शीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने के आदेश फरमावें जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा पैरोकार की बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थी तहसीलदार बानसूर द्वारा आवंटी के विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन को निरस्त करने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (शीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी शीको के नाम इन्द्राज हो चुका है तथा मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 27.02.1976 को ग्राम केशवाना गूर्जर में आवंटित साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 3 बीघा हाल आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 22.36 है0 का आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटपुतली को पालनार्थ मिजवायी जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो।

7. निर्णय दिनांक 28.04.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया



(कल्पना अग्रवाल)  
आई.ए.एस.

**जिला कलेक्टर**  
कोटपुतली-बहरोड़ (राज.)